भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 181

02 फरवरी, 2021 के लिए प्रश्न

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना (ओएनओआरसी) योजना का कार्यान्वयन

181. श्रीमती क्विन ओझाः

श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव निम्बालकर नाईकः

डॉ० मनोज राजोरियाः

श्रीमती रीती पाठकः

श्री फिरोज़ वरुण गांधीः

श्री अजय कुमार मंडलः

श्री चंदेश्वर प्रसादः

डॉ० भारतीबेन डी० श्यालः

श्री सुधारकर तुकाराम श्रंगरेः

श्री सुब्रत पाठकः

श्री शंकर लालवानीः

सुश्री प्रतिमा भौमिकः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत अब तक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने लाभार्थियों को दर्ज किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने योजना का तहत योग्य लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी करने के लिए नए मानक प्रारूप का पालन करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी करना आरंभ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है;

(ड.) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत करोड़ों योग्य दिव्यांग व्यक्तियों के नाम अभी तक दर्ज नहीं किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) और (ख): जी हां। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सहयोग से यह विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना क्रियान्वित कर रहा है। अब तक यह सुविधा 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई है, जिसमें लगभग 69 करोड़ लाभार्थी, देश की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आबादी का लगभग 86 प्रतिशत कवर किए जा रहे हैं। अब तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अधीन कवर किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों की संख्या बताने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

.....2/-

(ग) और (घ): एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अधीन लाभार्थी, यदि चाहता है, तो वह पोर्टेबिलिटी के जरिए खाद्यान्नों के उठान के समय इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सेल उपकरण पर बायोमेट्रिक प्रमाणन के साथ अपने उसी/मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके अपनी पसन्द की इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सेल आधारित किसी भी उचित दर दुकान से अपनी पात्रता के खाद्यान्नों का उठान कर सकता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अधीन लाभार्थियों को नया राशन कार्ड जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई निर्देश नहीं दिया गया है। तथापि, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रचालनों के अधीन एकरूपता लाने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि वे जब कभी भविष्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन नया राशन कार्ड जारी/मुद्रित करने का निर्णय लें तो राशन कार्डों के लिए मानक द्विभाषी प्रपत्र अपनाएं।

(ड.) और (च): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारियों के अधीन चलाई जाती है। इस संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन पात्र लाभार्थियों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने, नामित डिपुओं से खाद्यान्नों का उठान करने, उचित दर दुकानों के जरिए उनकी पात्रता के अनुसार राशन कार्ड धारकों को वितरण करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस प्रकार, पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के लिए उन्हें राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की होती है। फिलहाल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन दिए गए कुल 81.35 करोड़ व्यक्तियों के कवरेज में से लगभग 80 करोड़ लाभार्थी मासिक आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्नों की अपनीपात्रता का कोटा प्राप्त कर रहे हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 38 के अधीन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को कवर करें। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि वे समय-समय पर विशेष अभियान, कैंप आदि आयोजित करके दिव्यांग व्यक्तियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के जरूरतमंद व्यक्तियों की पहचान करें और अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन व्यक्तियों के परिभाषित कवरेज तक सभी पात्र व्यक्तियों/परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशन कार्ड जारी करें।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 02.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 181 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ओएनओआरसी के तहत दिसंबर, 2020 तक कवर किए गए एनएफएसए लाभार्थियों की संख्या (करोड़ में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01
2	आंध्र प्रदेश	2.68
3	अरुणाचल प्रदेश	0.08
4	बिहार	8.71
5	छत्तीसगढ़	0.03
6	दादरा व नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.03
7	गोवा	0.05
8	गुजरात	3.46
9	हरियाणा	1.23
10	हिमाचल प्रदेश	0.27
11	जम्मू एवं कश्मीर	0.70
12	झारखंड	2.61
13	कर्नाटक	4.30
14	केरल	1.53
15	लद्दाख	0.01
16	लक्षद्वीप	0.00
17	मध्य प्रदेश	5.46
18	महाराष्ट्र	7.00
19	मणिपुर	0.23
20	मेघालय	0.21
21	मिजोरम	0.07
22	नगालैंड	0.12
23	ओडिशा	3.24
24	पुदुच्चेरी	0.06
25	पंजाब	1.40
26	राजस्थान	4.51
27	सिक्किम	0.04
28	तमिलनाडु	3.66
29	तेलंगाना	1.92
30	त्रिपुरा	0.24
31	उत्तर प्रदेश	14.66
32	उत्तराखंड	0.56
	योग	**69.09**

*****